बिहार सरकार

वित्त विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक–..............................

संख्या–1/स्था०(बि०वि०प्र०से०)–05/2026....................../वि० बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित तथा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष (वेतन स्तर–9) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में वित्त विभागीय मुख्यालय, पटना में नियुक्त करते हुए प्रशिक्षण हेतु बिपार्ड, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	रौल नं०	नाम	गृह जिला	संयुक्त मेधा क्रमांक	जन्म तिथि	अनुशंसित आरक्षण कोटि	पदस्थापन कार्यालय
1	263722	श्री अभिमन्यु कुमार	पटना	1	03.08.2000	(UR-01)	वित्त विभागीय मुख्यालय, पटना।
2	491353	श्री आशुतोष कुमार	दरभंगा	2	05.02.2000	(UR-01)	वित्त विभागीय मुख्यालय, पटना।
3	418931	श्री अमित कुमार	सुपौल	3	05.12.1999	(UR-01)	वित्त विभागीय मुख्यालय, पटना।
4	538931	मो० आमीर खान	दरभंगा	8	15.12.1998	(EWS-07)	वित्त विभागीय मुख्यालय, पटना।
5	117901	सुश्री शिखा सिंह	गोपालगंज	13	25.12.1999	(UR-01)	वित्त विभागीय मुख्यालय, पटना।

i. नवनियुक्त पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि दिनांक–13.08.2026 को बापू सभागार, पटना में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना–अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे।

ii. बिपार्ड, पटना में प्रशिक्षण की अवधि अथवा अगले आदेश तक अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर वित्त विभागीय मुख्यालय से वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

iii. पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति अगले छः माह के लिए की जाती है। यह पूर्णतः औपबंधिक होगी। अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्रों से संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा पूर्व वृत्त सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब नवनियुक्त पदाधिकारियों की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

iv. नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 01 वर्ष की होगी।

v. नव नियुक्त पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अपना योगदान वित्त विभाग में देना सुनिश्चित करेंगे। विभागीय मुख्यालय में योगदान/प्रभार ग्रहण करने के पश्चात बिपार्ड में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

vi. अन्य सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी स्वयं द्वारा धारित पूर्व पद से विरमित होकर अथवा संबंधित विभाग को सूचना देकर विरमित होने की प्रतीक्षा किये बिना वित्त विभाग में योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(राम चन्द्र मंडल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था०(बि०वि०प्र०से०)–05/2026................................/वि०, पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था०(बि०वि०प्र०से०)–05/2026................................/वि०, पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/वरीय कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था०(बि०वि०प्र०से०)–05/2026....7429..../वि०, पटना, दिनांक–11-08-2026

प्रतिलिपि–मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्य (वित्त) मंत्री का कोषांग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना/गयाजी/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव (संसाधन) के निजी सहायक, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव (व्यय) के प्रधान आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित वरीय कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित नव नियुक्त पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

RMandal
11-08-2026
सरकार के अवर सचिव।